(c) by when the beautification work is likely to be completed?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) No Sir, The station and its surroundings are in satisfactory condition

(b) and (c) Do not arise.

तुर्की में विद्युत संकेत लगाने हेतु ठेका दिया जाना

6307. **श्री गोविन्दराव आदिक:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे को तुर्की के रेल मार्गों पर विद्युत संकेत लगाने का ठेका दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रेलवे को अन्य कौन-कौन से ठेके मिलने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

New Train from Delhi-Jalandhar via Chandigarh

6308. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to start a new train between Delhi-Jalandhar via Chandigarh;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) by when the new train would be introduced; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) There is no proposal at present.

(b) and (c) Do not arise.

(d) Operational constraints and lack of resources. Besides, the proposed train if introduced, will involve double running on Ambala-Chandigarh section leading to more journey time and fares which will not be liked by through passengers. Moreover, sufficient number of trains are already available between Delhi/New Delhi and Jalandhar via Ambala.

अरुणाचल प्रदेश में रेल लाइनें बिछाया जाना

6309. **श्री न्योडेक योंगम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अरूणाचल प्रदेश में नई लाइनें बिछाने के लिए किन-किन मार्गों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या अ रुणाचल प्रदेश के चंगलांम जिले में "मियाओ" को इस योजना में शामिल करने का सरकार को कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के आरंभ होने की संभावित तिथि और समय क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ़) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेल दुर्घटनाओं के शिकार हुए लोगों को मुआवजा दिया जाना

6310. **श्री रामजीलाल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों के दौरान रेल दुर्घटना का शिकार हुए लोगों को दुर्घटना के तीन माह के अंदर मुआवजे का भुगतान किया था;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं;

(ग) उस धनराशि का ब्यौरा क्या है जिसका प्रावधान सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में किया है;

(घ) क्या सरकार मुआवजे की राशि को बढ़ाने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी० के जाफर शरीफ़) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिये)**।

(ग) दुर्घटना क्षतिपूर्ति के लिए दावों का भुगतान अब यूलाईटिड इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा किया जाता है जिसे प्रतिवर्ष बीमे की किश्त अदा की जाती है। इस खाते में बीमे की किश्त के रूप में 1995-96 में (ब अ) 5.57 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) 1990 में समीक्षा की गई थी जिसके बाद मुआवजे की राशि में वस्तुतः वृद्धि हुई है।

विवरण

जी नहीं। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार है:—

दावाकर्ता, जो कि मृतक अथवा घायल का निकट संबंधी अथवा अधिकृत अभिकर्ता हो सकता है, दुर्घटना की तिथि से एक वर्ष के भीतर मुआवजे के दावे के लिए रेल दावा अधिकरण जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय है, को रेल अधिनियम 1989 की धारा 125 के अंतर्गत दावा दायर करना चाहिए। साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर अधिकरण द्वारा मामले में डिक्री पारित कर दिए जाते ही रेलवे प्रशासन द्वारा दावाकर्ता को मुआवजे का भुगतान कर दिया जाता है। बहरहाल, अधिकरण द्वारा मामले के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:—

(i) दावाकर्ताओं की सुविधा के लिए मुख्यालय खंडपीठ के अलावा स्टेशनों पर समय-समय पर सर्किट खंडपीठें भी स्थापित की जाती हैं;

(ii) किसी भी खंडपीठ में सदस्य की कमी के कारण अपेक्षित होने पर एक खंडपीठ के सदस्यों को अन्य खंडपीठों में तैनात किया जाता है।

(iii) दावाकर्ताओं को उनकी सुविधा और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मामले को एक खंडपीठ से अन्य नजदीकी खंडपीठ को हस्तांतरित करने के उनके अनुरोधों को स्वीकार किया जाता है।

मध्य-प्रदेश को कोयले की आपूर्ति करने के लिए रेल डिब्बों का कोटा

6311. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश को कोयले के लिए रेल डिब्बों के कोटे में वृद्धि करने के संबंध में अब तक की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़): (क) रेलवे ने कोयले के संचालन के लिए कोटे की सभी सीमाएं समाप्त कर दी हैं, मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकता अनुसार उद्योगों के लिए कोयले का संचालन प्रत्यायोजित करने के लिए कहा गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Employment to land owners for acquisition of land under Konkan Railway Project

6312. **SHRI GUNDAPPA KORWAR:** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to accord preference to persons in employment whose lands have been acquired for Knokan Railway project;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether there is any proposal to set up a separate requirement board for the Corporation?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) and (b) Konkan Railway Corporation is following the policy of offering employment to one ward of a family whose land has been acquired, provided the acquisition of land has re-resulted in loss of the sole means of livelihood of the family.

(c) No, Sir.

Difficulties in Exports from Madras Port

6313. **SHRI KRISHAN LAL SHARMA:** Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Southern States of the country are experiencing difficulties and delays in exporting their products through Madras port where the cooling time for the consignments is quite long;

(b) if so, the steps being contemplated to reduce the time at Madras and also to upgrade other ports for the purpose; and

(c) the details thereof?